



2026:AHC:3603

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2481, वर्ष 2025

ब्रिजेश राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अजय कुमार, सत्य प्रकाश सिंह
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रशांत कुमार त्रिपाठी, प्रेम नारायण
राय, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री अंजनी कुमार चौरसिया, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी परिषद, श्री प्रशांत कुमार त्रिपाठी, निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता और ग्राम सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना।

2. तत्काल जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

A. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को भूखंड संख्या 65/270 क्षेत्रफल 0.2230 हेक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 6 और 7 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया जाए, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गांव-जामिनीसरपर, परगना-निजामाबाद, तहसील-निजामाबाद, जिला-आजमगढ़ में स्थित पोखरी (छोटा जीएच कूप तालाब) के रूप में दर्ज है।

B. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3...और 4 को भूखंड संख्या 65/270 क्षेत्रफल 0.2230 हेक्टेयर की मूल स्थिति को वापस बहाल करने का निर्देश दिया जाए, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में पोखरी (छोटा तालाब) के रूप में दर्ज है, जो गांव-जामिनीसरपर, परगना-निजामाबाद, तहसील-निजामाबाद, जिला-आजमगढ़ में स्थित है।

C. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या दिशा-निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को उसके समक्ष लंबित यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले संख्या **4895/2023** (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या **T20231506020895**) (राज्य बनाम अखिलेश, उमेश) को इस माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से समाप्त करने और निर्णय लेने का आदेश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचाराधीन भूखंड राजस्व रिकॉर्ड में पोखरी के रूप में दर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान, यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही करते हुए अंततः 8.10.2025 को निजी प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के खिलाफ बेदखली और क्षति के लिए निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत प्रतिवादी संख्या 6 और 7 द्वारा दायर अपील कलेक्टर आजमगढ़ के समक्ष लंबित है।

उन्होंने कहा कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और क्षति के आदेश के अनुपालन में संबंधित भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 8.10.25 को प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं क्षति आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील कलेक्टर आजमगढ़ के समक्ष लंबित है।

6. उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा-460 के अन्तर्गत उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, इसलिए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु तत्काल जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल जनहित याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज किया जाता है कि यूपी राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 460 के तहत निर्धारित अंतिम आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए उचित कार्यवाही कानून के अनुसार शुरू की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

5 जनवरी 2026

पीएस*